फा. सं.6-2/2016-एफईएस-अ.सां.

**भारत सरकार**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

**अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय**

कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001

दिनांक:-21 नवम्बर, 2016

सचिव,

कृषि विभाग

सरकार

विषय: वर्ष 2017-18 में विपणन हेतु 2016-17 के रबी फसलों के लिए मूल्य नीति- न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना

भारत सरकार ने 2017-18 में विपणन के लिए 2016-17 मौसम हेतु उचित औसत गुणवत्ता की रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किए हैं:

(रूपए प्रति क्विंटल)

| जिन्स(उचित औसत गुणवत्ता) | 2016-17 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य |
|---|---|
| गेहूं | 1625 |
| जौ | 1325 |
| चना | 4000^ |
| मसूर(लेन्टिल) | 3950^^ |
| रेपसीड/सरसों | 3700* |
| कुसुम्भ | 3700* |

^: इसमें 200 रूपए प्रति क्विंटल बोनस शामिल है

^^: इसमें 150 रूपए प्रति क्विंटल बोनस शामिल है

*: इसमें 100 रूपए प्रति क्विंटल बोनस शामिल है

1.2 रेपसीड/सरसों समूह के अन्य तिलहनों जैसे तोरिया के मूल्य रेपसीड/सरसों की तुलना में उनके सामान्य बाजार मूल्य अंतरों के आधार पर निर्धारित किये जाएंगे।

1.3 अनाजों के मामले में, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित एजेन्सियां पूर्व की भांति किसानों को मूल्य समर्थन उपलब्ध कराना जारी रखेंगी। एफसीआई द्वारा मोटे अनाजों की खरीद जारी रहेगी भले ही पीडीएस के अंतर्गत उनका वितरण नही किया जाता है। एफसीआई दलहनों और

...2/-

तिलहनों की खरीद के लिए नामित केन्द्रीय नोडल एजेन्सी बनी रहेगी। एफसीआई के प्रयासों की प्रतिपूरक के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड (नैफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन (एनसीसीएफ), केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्लूसी) और लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) भी अपनी क्षमता के अनुसार तिलहनों और दलहनों की खरीद करेंगी। ऐसे प्रचालनों में नोडल एजेन्सियों को हुई हानि, यदि कोई हो, की पूरी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

2. संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि मूल्य समर्थन प्रचालन उपलब्ध कराने के लिए और संबंधित सूचना के वृहत् प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

इसे सलाहकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पुनीत कुमार)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
मुख्य सचिव
बिहार सरकार